

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर 59/2025

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम

श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, मैसर्स शर्मा ब्रदर्स, मैन मार्केट, मण्डावा,
जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर सेआवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर सेअनावेदक स्वयं।

-निर्णय-

दिनांक : 30.7.2025

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 01.01.2025 को मैसर्स शर्मा ब्रदर्स, मैन मार्केट, मण्डावा, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक स्टील की टंकी में करीबन 10 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) में से सैम्पल लिया गया।

जिला कलक्टर

30/7/25

सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलों पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।


अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, मण्डावा, जिला झुन्झुनू में मैसर्स शर्मा ब्रदर्स के नाम से दुकान है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि वह आगे से अच्छी क्वालिटी के पैकड मिर्च पाउडर का बेचान करेगा तथा अपनी दुकान में साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगा। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को खारिज किया जावे।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
जयपुर

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./S-18/एक्ट/2025/70 दिनांक 09.01.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) Contravenes Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restriction on Sales) Regulation, 2011 because it is sold in loose condition पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा, मैसर्स शर्मा ब्रदर्स, मैन मार्केट मण्डावा, जिला झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/-अक्षरे बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अनावेदक से जुर्माने की राशि राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।